भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. **+1158**
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

होटल उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को राहत

+1158. प्रो॰ अच्युतानंद सामंतः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कोविड-**19** महामारी से बुरी तरह प्रभावित होटल और रेस्तरां उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का कोविड-**19** महामारी के कारण होटल, रेस्तरां और पर्यटन आधरित क्षेत्रों के लिए कोई योजना बनाने अथवा राहत प्रदान करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार रात्रि भोज के बिलों के कुछ प्रतिशत को राजसहायता के रूप में वहन करने के प्रावधन पर विचार करेगी, जिसका उदाहरण यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में लिए गए वह निर्णय है जिनके अनुसार रात्रि भोज के बिलों का **50** प्रतिशत वहन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों को बाहर खाना खाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और यदि नहीं, तो क्या सरकार के विचार में खानपान उद्योग की मदद करने के लिए इसी प्रकार का कोई प्रगतिशील उपाय है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और **(ख):** पर्यटन मंत्रालय ने कोविड**-19** महामारी से प्रभावित पर्यटन उद्योग की बहाली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं**:**

i. पर्यटन मंत्रालय ने व्यवसाय की निर्बाध बहाली में सहायता के लिए होटलों, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट/ होमस्टे तथा फॉर्म स्टे और अन्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशें तैयार करके जारी की हैं **।**

ii. होटलों, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट तथा अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए कोविड**-19** तथा उसके पश्चात की स्थिति में जारी दिशा निर्देशों/एसओपी के कारगर कार्यान्वयन के लिए साथी (सिस्टम फॉर एसेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक एक पहल की गई है **।**

iii. यह मंत्रालय विचार-विमर्श तथा विचार-मंथन सत्र के अनेक दौर आयोजित करके उद्योग जगत के हितधारकों के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हैं और मंत्रालय द्वारा उनके सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है । ऐसे सभी प्रस्ताव भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के समक्ष रखे गए हैं। इसी प्रकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित सहायता उपाय संबंधी मुद्दे उच्चतम स्तर पर उठाए गए हैं ।

iv. पर्यटन मंत्रालय ने कोविड-**19** के प्रकोप के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने और देश में पर्यटन क्षेत्र की बहाली के लिए समुचित सिफारिशें करने के लिए माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है । इस कार्यबल में राज्य के पर्यटन मंत्री, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और एफ आई सी सी आई, सीआईआई, एसोचैम, डब्लूटीसीआईआई जैसे संगठनों के प्रतिनिधि एवं पर्यटन तथा आतिथ्य संगठनों के प्रमुख शामिल हैं ।

(ग) जी नहीं । मंत्रालय ने रात्रि भोज के बिलों एक प्रतिशत वहन करने के रूप में सब्सिडी देने पर विचार नहीं किया है । इस ने सुरक्षा उपायों और प्रोटोकॉल के माध्यम से सुरक्षित गंतव्य के रूप में भारत के प्रति घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने संबंधी उपायों पर फोकस किया है ।

*****